



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1352/10एल0ए0
सेवा में,

दिनांक 2/6/2018

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में कोटी बैंड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.099 है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी./यू0सी0पी0/06/119/2016/एफ0सी0/940 दि. 06.09.2017, महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी./यू0सी0पी0/06/119/2016/एफ0सी0/940 दिनांक 06.09.2017, के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

1:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-घतोड़ा की सिविल भूमि का वन विभागा के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है प्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक धनराशि CAMP के खाते में जमा की जा चुकी है, प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

2:- विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन0पी0वी0 की धनराशि CAMP के खाते में जमा की जा चुकी है।

3:- एन0पी0वी0 की बढ़ी धनराशि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

4:- विभाग द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से CAMP के खाते में जमा की गई है।

5:- सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

6:- प्रस्तावित मार्ग का FRA एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिटल मानचित्र की प्रति संलग्न की जा रही है।

7:- उक्तानुसार FRA संलग्न है।

8:- प्रस्तावित संरक्षण एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण का डिजिटल मानचित्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों का अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्न:- (1) NPV/वृक्षारोपण धनराशि जमा चालान की प्रति।

(2) सिविल भूमि नामान्तरण आदेश की प्रति।

(3) NPV प्रमाण पत्र।

(4) रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण प्रमाण पत्र।

(5) एफ.आर.ए. एवं मानचित्र।

तीन
सेट
में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग

पत्रांक /10एल0ए0

दिनांक / /2018

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता 7वाँ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनांक/Date..19/12/2017

Received From...~~Ex~~ Engineer from Division

P.W.D. Kanan Prayag

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on: 631418 Mr. 19/12/17 से प्राप्त किया

बैंक/Bank: ..Cooperation Bank

शाखा/Branch: ..f.c.s. Kangalore

के पक्ष में/Favouring ..Uthanchal Campa

आईएफएससी कोड/ IFSC Code: 00R00000633

खाता संख्या/Account No: 150896197830080

राशि (रुपये)/Amount Rs.

बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.

योग /Total Rs.

1485985--

1485985--

राशि/Rupees (in words): ..fourteen hundred eighty five

..thousand eighty five only

20 DEC 2017

Sandeep Singh

SBIN RS 20/17/22000028035

P. S. attested

संश्लेषक अभियन्ता
शा. ५०० लो० नि० वि०
क. प्रयाग (दमोली)



EE PWD Karanprayag <eedpwwdkpg@gmail.com>

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in>

Thu, Nov 9, 2017 at 6:50 PM

To: eedpwwdkpg@gmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Proposal Detail

- | | |
|---|--|
| 1. Proposal No. | : FP/UK/ROAD/9783/2015 |
| 2. Proposal Name | : Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road and 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli |
| 3. Category of the Proposal | : Road |
| 4. Date of In-principle | : 31/01/2015 |
| 5. Name of the Applicant with Contact Details | |
| Name | : PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| Mobile No. | : 9997732566 |
| Email ID | : eedpwwdkpg@gmail.com |
| State | : Uttarakhand |
| District | : Chamoli |
| Pincode | : 246444 |

Funds Demand Details

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Compensatory Afforestation | : Rs. 557330/- |
| 2. Additional Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 3. Penal Compensatory Afforestation | : Rs. 0/- |
| 4. Catchment Area Treatment | : Rs. 0/- |
| 5. Safety Zone | : Rs. 0/- |
| 6. Additional Charges for protected area | : Rs. 0/- |
| 7. Net Present Value (NPV) | : Rs. 928655/- |
| 8. Other Charges | : Rs. 0/- |
| 9. Other Charges1 | : Rs. 0/- |
| 10. Other Charges2 | : Rs. 0/- |
| 11. Other Charges3 | : Rs. 0/- |
| Total Amount | : Rs. 1485985/- |

(iv). No. of patches: One

District 1. : Chamoli

(a). Village: Ghatora

(b). Area(in ha.): 2.2

(c). Copy of KML file of the patch:



[View File](#)

(d). Khasra details: 461, 460

(e). Present owner: User Agency

(f). Copy of Ownership proof:



(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of
Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station:



- आदेश -

जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी 2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.198 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-08वीं/यू०सी०पी०/06/119/2016/एफ०सी०/940 दिनांक 06.9.2017 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी 2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम घतोड़ा, प०वृ० कोटी, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-11 के खसरा सं०-460 रकवा 1.650 है० मध्ये 1.100 है० भूमि, एवं खसरा 461 रकवा 1.911 है० मध्ये 1.098 है० भूमि अर्थात् कुल 2.198 है० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(III) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3183/छबीस-13 (2017-2018) गोपेश्वर: दिनांक: 3 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

R.S.1 कोटी

मुख्य निपटारा (चमोली)
सं. कर्मल एम
का मायका

पतांक

9/3/18

दिनांक 1/1/2018

12/3/18

प्रतिलिपि सहानु जमियन्त मुख्यालय लो-
नि.वि. कर्णप्रयाग/खडीय बमोन को सूचना हेतु
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता

शा. खण्ड लो० नि० वि०

कर्णप्रयाग (चमोली)

नवाला खेतनी
N.2.A ग्राम धरोहर राज्य नि. कोठी
तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)

1	2	3	4
	खेती 9(3) ड. :-	अवधि	हथि वोग्य बंगर सूची
11	बंगर	12	0.008
		16	0.003
		21	0.025
		105	0.020
		107	0.015
		xxx	xxx
		460	1.650
		461	1.911
		xxx	xxx
		1771	0.483
		220	33.329

सु. आ. प्रमाण प्रिक्वाथिकारी मध्ये व चमोली
संख्या : 3183 / ह. विस - 13 (2017-18) गोपेवर
दिनांक 3 मार्च 2018 के काम में ग्राम धरोहर
प. व. कोठी तह. कर्णप्रयाग के र. व. सं.
11 के र. व. सं. 460 सहित 1.100 ई. व
र. व. सं. 461 सहित 1.098 ई. व
1.198 ई. व. विभाग के पक्ष नामांतरण
/ हस्तांतरण विषये जाने की स्मृति प्रदान
की जाती है।

ह. व.
प्रिक्वाथिकारी
चमोली

नवाला खेतनी नसल से तैयार की गयी।

TNR (H)
तहसीलदार
कर्णप्रयाग



C.S.

10/04/2018
जिला अधिकारी
कर्णप्रयाग

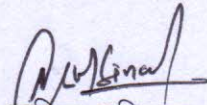
P. collected
सहायक अभियन्ता
प्रा. व. लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)

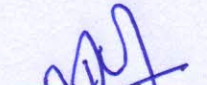
परियोजना का नाम— जिला चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण
हेतु 1.099 है. वनभूमि हस्तान्तरण

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

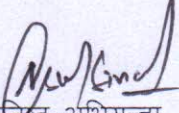

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम— जिला चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा मोटर मार्ग निर्माण
हेतु 1.099 है. वनभूमि हस्तान्तरण

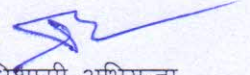
रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस-पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।


अमान
लो.नि.वि.


कजिष्ठ अभियन्ता
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No.

Dated : 14 / 01 / 2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.099 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.099 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.
- (f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

P. e. attested

[Signature]
सहायक जमियन्ता
शा. बण्ड लो नि नि
कप प्रवाण (चमोली)

1.6(b)

Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.05.2018. At 14.05.2018 in Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

P. C. Chatterjee
सह. पं. अधिकारी
प्रा. वन्य जीव विभाग
कन प्रयाग (चमोरी)

1.6(c)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी वैण्ड से घातोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्डचमोली.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी वैण्ड से घातोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (0.105 है. आरक्षित वन भूमि 0.378 है. सिविल एवं सोयन वन भूमि 0.616 है. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.099 है. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- कर्णप्रयाग) की दिनांक 12/01/2015 को सम्मन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं विधम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 12/01/2015 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नांकित है।

- 1- श्री विमल सिंह ने.सी. उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग () अध्यक्ष
- 2- श्री विमल सिंह ने.सी. उप प्रभागीय बनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य/सचिव
- 4- श्री सौम्य सिंह बिर्वाला बी.डी.सी. क्षेत्र पंचायतकोटी.... सदस्य
- 5- श्री महेश्वर पुर्वोदित वन अधिकार समिति सदस्य
- 6- श्री प्रदीप कुमार शर्मा वन अधिकार समिति सदस्य
- 7- श्री विमल सिंह ने.सी. उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक के उपरान्त उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कोटी वैण्ड से घातोडा मोटर मार्ग का परियोजना हेतु 1.099 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

सहायक अभियन्ता
श. खण्ड लो० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~राजीव कुमार शर्मा~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी) की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से नाननीय सदस्यों को अवगत कराया कि इन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम रुखा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप लुण्ठ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

उप-जिल्हाधिकारी, अहमदाबाद
उप-खण्ड मन्त्री, तहसील कार्यालय
तहसील - कर्णप्रयाग
जन्मद - चमोली

उप जिलाधिकारी/सहयुक्त
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
ताहसील- जर्नाप्रवाग
जगपूर - चमोली।

सद्विक्रय के लिये प्रस्ता
प्रा. अण्ड लो० वि. वि०
कर्ण प्रयाण (चमोली)

1.6(d)

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद बमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

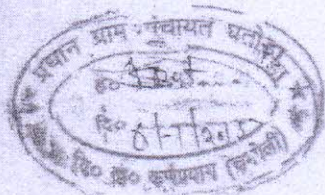
ग्राम पंचायत का नाम:- घतोडा,

तहसील -- कर्णप्रयाग, जिला.- बमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद बमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत जनपद बमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे. वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात् कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतघतोडा..... द्वारा दिनांक06/01/2015..... को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संरक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा साफ़ किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



06/01/15
प्रयोक्ता एजेन्सी
लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग (बमोली)

For attestation

सह.युक्त अधिकारी
शा. बैण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (बमोली)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह/-

ग्राम सचिव,

ग्राम प्रधान- चतोडा,

नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - चतोडा,

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

- 1- स. श्री रघुबीर सिंह कोटिवाल
- 2- 31 प्रताप सिंह नेगी
- 3- 11 नन्दन सिंह कोटिवाल
- 4- 11 अवधल सिंह नेगी
- 5- 11 प्रेम सिंह पवार
- 6- महिपाल सिंह पवार
- 7- दिगम्बर सिंह नेगी
- 8- सुबकल सिंह पवार
- 9- श्रीरंज सिंह पवार
- 10- कुलदीप सिंह नेगी
- 11- पदम देवी
- 12- लनी देवी

Rising

नन्दन सिंह

सुबकल सिंह

प्रेम सिंह

महिपाल सिंह

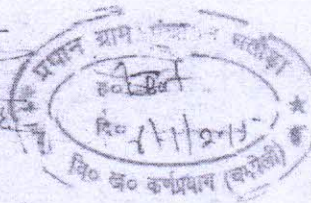
दिगम्बर सिंह

श्रीरंज सिंह

कुलदीप सिंह

पदम देवी

लनी देवी



ग्राम सभा प्रमुख
चतोडा
कर्मप्रयाण (चमोली)

R. C. Chatterjee

सहायक अभियन्ता
प्रा. भूगड लो० वि० वि०
कर्मप्रयाण (चमोली)

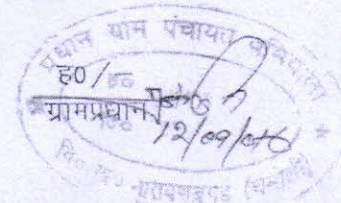
प्रपत्र- 23.1

दिनांक 13/09/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत बसिमल्ला

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मान सिंह	मान सिंह
2	जगता सिंह	जगता सिंह
3	रघुवीर	रघुवीर
4	भरत सिंह	भरत सिंह
5	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
6	जुमान सिंह	जुमान सिंह
7	जिते सिंह	जिते सिंह
8	इश्वर सिंह	इश्वर सिंह
9	मोहन सिंह	मोहन सिंह
10	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
11	कलकत सिंह	कलकत सिंह
12	लाल सिंह	लाल सिंह
13	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
14	महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
15	कैसर सिंह	कैसर सिंह

हो.
ग्राम पंचायत बसिमल्ला
जिते सिंह



सहायक अभियन्ता
शा. खण्ड लो० ति वि०
कण प्रयाण (चमोली)

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड - घतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई-5.000 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- (thick solid line) — Proposed Road
- (dashed line) — Alternate Road
- (thin solid line) — Existing Road
- (dotted line) — Reserve Forest Boundary

Reserve Forest Boundary

सहायक अभियन्ता
कमोली बन्द लो. नि. वि.
१६६

व्यवसायी अभियन्ता
कमोली बन्द लो. नि. वि.
कर्मप्रमाण 'चमोली'

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
कमोली बन्द लो. नि. वि.
कर्मप्रमाण (चमोली)

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के अन्तर्गत कोटी बैण्ड - घतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई-5.000 कि०मी०) प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Proposed Plantation Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary

अभिमत अधिकारी
जनपद चमोली, वि. वि.
कर्मचारी - चमोली

अभिमत अधिकारी
जनपद चमोली, वि. वि.
कर्मचारी - चमोली

अभिमत अधिकारी

P. S. D. S. D. S. D.

महोदय

सहायक अभियन्ता
श्री. खण्ड लो० नि० वि०
कर्मचारी (चमोली)